अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

पुराना पावर हाउस, हाथी भाटा, जयपुर रोड़, अजमेर

पत्र कमांक / अ.वि.वि.नि.लि / प्र.नि. / मु.ले.अ.(रा.व नि.)/प. / प्रे. 2556 दिनांक 1.10.2012

आदेश

निगम के उच्च अधिकारियों द्वारा बन्द एंव त्रुटिपूर्ण मीटरों की भारी संख्या की गहराई से जांच एंव समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बिलिंग एजेन्सियों एंव विभागीय मीटर रीडरों द्वारा विद्युत संप्लाई की अनुपलब्धतां के कारण मीटर पठन डिस्पले न होने कारण मीटर स्टेटस "D" (डफेक्टिव) का इन्द्राज कर दिया जाता है, परिणाम स्वरुप एक तरफ तो वास्तविक रुप से मीटर सही होने के बाबजूद मीटरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रहती हैं एंव दूसरी तरफ निगम को भी उपभोक्ता के वास्तविक उपभोग के राजस्व से वंचित होना पड़ता हैं।

निगम द्वारा इस प्रकार के मामलों को गंभीरता से लिया गया है एंव इस सम्बध में सभी सम्बन्धित पक्षों की अनुपालना हेतु निम्न आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

1. बिलिंग एजेन्सियों द्वारा अपने स्तर पर उक्त प्रकरणों की गहराई से जांच की जायेगी एंव अपने स्तर पर ही उक्त प्रकार के मीटरों का मीटर स्टेटस सही किया जायेगा एंव उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग की बिलिंग की जायेगी साथ ही त्रुटिपूर्ण मीटर स्टेटस मानते हुए पूर्व में जारी बिलों का समायोजन भी किया जायेगा।
2. सभी सहायक अभियन्ता एंव सहायक राजस्व अधिकारी भी अपने स्तर पर उक्त प्रकरणों की गहराई से जांच करेंगे एंव उक्त प्रकार के बाकी बचे मामलों की सूची बिलिंग एजेन्सियों को भेजकर मीटर स्टेटस को सही करवाने एंव पूर्व में जारी समायोजन योग्य बिलो की अवधि दर्शाकर, समायोजन हेतु प्रेषित करेंगे।
3. सभी सहायक अभियन्ता एंव कनिष्ठ अभियन्ता अनिवार्य रुप से अपने पास बिलिंग प्रोग्राम की एक प्रति रखेंगे एंव यथासम्भव तदनुसार मीटर पठन किये जाने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
4. मीटर पठन पर जाने से पूर्व सभी मीटर रीडर (बिलिंग एजेन्सियों एंव विभागीय) अनिवार्य रुप से सम्बन्धित उपखण्ड के सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता से नियमित सम्पर्क स्थापित करेंगे एंव मीटर पठन किये जाने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने हेतु नियमित रुप से आग्रह करते रहेंगे।
5. उपरोक्त उपायों (बिन्दु 3 एंव 4) के पश्चात भी यदि किसी क्षेत्र/ जगह विशेष में विद्युत आपूर्ति न होने के कारण मीटर द्वारा पठन दर्शित (display) न किये जाने की अवस्था में मीटर रीडर द्वारा **मीटर स्टेटस "W" अंकित/ एन्टर किया जायेगा।**
6. मीटर स्टेटस "W" अंकित/ एन्टर किये गये उपभोक्ताओं की बिलिंग TCOS-2004 के क्लाज 37 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पिछले चार माहों के औसत के आधार पर की जायेगी एंव इस आधार पर जारी गये बिल आगामी माह/माहो में वास्तविक मीटर पठन एंव उपभोग के बिल जारी किये जाने की अवस्था में समायोजन के अधीन होगें।

7. क्षेत्र/जगह विशेष में विद्युत आपूर्ति के बावजूद भी मीटरों के डिस्पले आउट होने के प्रकरणों में दर्ज उपभोग को HHT या मीटर लेब द्वारा मीटर पठन करवाने हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता व्यवस्था करावें तथा इस प्रकार से मीटर पठन लिए जाने तक इन मीटरों को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था करावें।
8. पूर्व जारी आदेशानुसार बिलिंग एजेन्सियों द्वारा, अपने मीटर रीडरों को, मीटर पठन कार्यारम्भ से पूर्व समुचित प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक हैं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा भी इसकी जांच एंव संतुष्टि आवश्यक हैं। अतः सभी सम्बन्धित सहायक अभियन्ता नियमित रुप से समय-समय पर सभी मीटर रीडरों की कार्यक्षमता की जांच कर आवश्यक रुप से यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्रों में कार्यरत मीटर रीडर, स्थापित मीटरों के पठन हेतु सक्षम हैं या नहीं तथा वे विभिन्न मीटर स्टेटस कोड के उपयोग एंव परिणामों से भी परिचित हैं या नहीं (मीटर स्टेटस कोड की प्रति इस कार्य हेतु संलग्न हैं।) इस कार्य हेतु सहायक अभियन्ता आवश्यकतानुसार समुचित प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे एंव अयोग्य मीटर रीडर के स्थान पर सम्बन्धित एजेन्सी को योग्य मीटर रीडर प्रदान करने की संस्तुति करेंगे।
9. सभी अधिक्षण अभियन्ता एंव अधिशाषी अभियन्ता अपने अधीनस्थ उपखण्डो में इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तरदायी होंगे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(पी.एस.जाट)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एंव पालना हेतु प्रेषित करते हुए लेख है कि संभागीय मुख्य अभियन्ता संभाग स्तर पालना सुनिश्चित करावें।

1. तकनीकि सहायक अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक डिस्कामस् जयपुर वास्ते सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ...
3. संभागीय व. लेखाधिकारी (राजस्व), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुनझुनु
4. अधिक्षण अभियन्ता (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ...
5. लेखाधिकारी (पवस), अ.वि.वि.नि.लि., ...
6. अधीषाशी अभियन्ता (पवस/), अ.वि.वि.नि.लि..........................
7. M/s Sar Technology, B-101, Vaishali Nagar, Jaipur.
8. M/s Aditi Computers, A-46, Vishwamitra Marg; Shyam Nagar, Jaipur.

मुख्य लेखाधिकारी (रा. व नि.)